बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

दैनिक जागरण 19-12-13

इंदिरा आवास योजनान्तर्गत संविदा आधारित नियोजन संबंधी सूचना

इंदिरा आवास योजना के प्रभावकारी क्रियान्वयन हेतु अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण के लिए प्रखण्ड एवं पंचायत स्तर पर ग्रामीण आवास सहायक, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक तथा लेखा सहायक (ग्रामीण आवास) के संविदा आधारित नियोजित हेतु ऑनलाईन आवेदन के लिए दिनांक 20.10.2013 को समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराया गया था। आवेदन के लिए निर्धारित अंतिम तिथि दिनांक 29.11.2013 तक प्राप्त आवेदन पत्रों में से वैध आवेदन पत्रों का जिलावार एवं पदवार सूची वेबसाईट www.iay.bih.nic.in पर दिनांक 19.12.2013 से Public viewing के लिए प्रकाशित की जा रही है, जिस पर दिये गये link पर जाकर कोई भी व्यक्ति किसी भी अभ्यर्थी के द्वारा समर्पित आवेदन पत्रों के मेधा अंक एवं उसके आधार को देख सकता है, परन्तु आवेदन पत्र को edit करने का विकल्प नहीं होगा।

2. इस नियोजन से संबंधित जिलावार/वर्गवार/पदवार shortlisted अभ्यर्थियों की प्रारूप सूची (Draft list of shortlisted candidates), जो जिले के लिए किये जाने वाले नियोजन की संख्या का चार गुणा है, को भी वेबसाईट पर प्रकाशित किया जा रहा है। shortlisted अभ्यर्थियों की प्रारूप सूची पर यदि आपत्ति हो तो उसे rddiayclaim@gmail.com पर ई-मेल से दिनांक 26.12.2013 के 5.00 बजे अपराहन तक भेजा जा सकता है। विज्ञापन में निर्धारित योग्यता एवं शर्तों पर की गई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी।

3. इस प्रक्रिया में प्राप्त दावों/आपत्तियों के निष्पादन के बाद जिलावार/वर्गवार/पदवार Final list of shortlisted candidates प्रकाशित की जायेगी।

4. Final list of shortlisted candidates में आने वाले अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता सहित अन्य प्रमाण पत्रों को वेबसाईट पर अपलोड करना होगा जिसके लिए उन्हें SMS/E-Mail से सूचित किया जायेगा।

5. उक्त कार्रवाई के पश्चात Draft Merit List को प्रकाशित किया जायेगा तथा इसपर जिला स्तरीय नियोजन समिति के समक्ष दावा एवं आपत्ति दायर किया जा सकता है।

6. दावा आपत्ति के निष्पादन के बाद आरक्षण कोटिवार तैयार Final Merit List में आने वाले अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का भौतिक रूप से सत्यापन का कार्य जिला स्तर से किया जायेगा। कॉन्सेलिंग में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों का दावा तत्क्षण समाप्त हो जायेगा।

7. आवेदन पत्र में भरी गयी सूचना यदि गलत पायी जाती है तो आवेदक की अभ्यर्थिता तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

8. प्रमाण पत्रों के सत्यापनोपरान्त Final Select List तथा Final Waitlist का प्रकाशन किया जायेगा तथा चयनित अभ्यर्थियों को E-Mail से सूचना दी जायेगी।

सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना

सू.ज.स.वि.– 11097 (ग्रा.वि.) 13–14, बिहार

सरकारी सेवा जनसेवा का माध्यम है, धर्म ईमान की तरह इसे भी बेदाग रखें।